न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 20/2025

अपीलार्थी–

1. सलीम खान पुत्र गफुर खान
2. अता उल्ला खान उर्फ अते खान पुत्र गफूर खान जाति मुसलमान निवासी आदर्श नगर तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता–

1. तहसीलदार शिव

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.05.2025 जो प्रकरण सं. 01/2025 मे तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री भगवानदास गोयल, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 03.02.2026

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार शिव द्वारा प्रकरण सं. 01/2025 सरकार बनाम सलीम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.05. 2025 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का राजड़ाल द्वारा तहसीलदार शिव के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बरियाड़ा के खसरा नम्बर 790/525 रकबा 0.7042 हैक्टेयर किस्म में से 0.0485 हैक्टेयर पर गै[illegible] द्वारा गैर मुमकीन आगोर राजकीय भूमि पर काश्त [illegible] जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्य[illegible] पटवारी द्वारा प्रस्[illegible]र्ट पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:18:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल अधिवक्ता दौरान सुनवाई उपस्थित नहीं हुए इस पर तहसीलदार शिव द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 02.05.2025 के द्वारा 6/- रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 08.05.2025 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया।

4. अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मौजा बरियाड़ा के खसरा नम्बर 790/525 रकबा 0.7042 हैक्टेयर किस्म में से 0.0485 हैक्टेयर पर अतिचार बताया गया है जबकि वास्तव में दिये गये नोटिस पटवारी हल्का के आधार पर कहीं पर भी कृषि वर्ष का अंकन नहीं है तथा न ही उसका कोई दिनांक का उल्लेख है इस आधार पर बिना दिनांक के आधार पर दिया गया नोटिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय अनुसार वह नोटिस एवं कार्यवाही नियमानुसार नही है। इस आधार पर अपीलांट को राजनीति आधार टारगेट किया गया है जबकि अपीलांटका किसी वर्ष एवं किस दिनांक को कब्जा रहा है जिसका कोई साक्ष्य सबूत पत्रावली में पेश नहीं किया है तथा प्रथमदृष्ट्या देखने मात्र से यह प्रतीत होता है कि दिया गया नोटिस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दिया गया है तथा तहसील कार्यालय शिव से कोई डिस्पेच नंबर, दिनांक का अंकन नहीं होने से एवं अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध है। जो निरस्त योग्य हैं।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन [illegible] रेस्पों. ने मौजा बरियाड़ा के गैर मुमकीन आगोर राजकीय [illegible] ईटों का कमरा बनाकर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण होना पाया है तथा राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त भूमि गैर मुमकीन आगोर हेतु दर्ज हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:18:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट को नोटिस व समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है जिस पर अपीलांट अनुपस्थित रहा है। इसके बावजूद भी यदि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। अपीलांट का कथन है कि उनका विवादित भूमि पर पुराना कब्जा है लेकिन भूमि गै.मु आगोर होने से अपीलांट को किसी प्रकार का हक–अधिकार नहीं है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में भी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश 02.05.2025 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है। तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय का क्रियान्वयन कर राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करावे।

7. निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:18:07 IST
Reason: SelfAttested